



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012026-269014  
CG-DL-E-01012026-269014

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5909]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5909]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSAH 9, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6109(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में प्रयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा(1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4098(अ), तारीख 4<sup>th</sup> September 2025, जो भारत के राजपत्र तारीख 09.09.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में त्रिपुरा राज्य में जीओएपी से जाओ#14 तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिय ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड द्वारा पाईपलाईन विद्धाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27.10.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधन हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाईन विद्धाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन विद्वाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विलंगमों से मुक्त होकर, ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

मौजा: उत्तर सोनाइचोरी

जिला: दक्षिण त्रिपुरा

तहसील: सारासीमा

उप-प्रभाग : विलोनिया

भूमि की अनुसूची:-

क्र. सं.	खसरा सं	प्लाट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	580	1523/पी	टीला	0.25
2	176	1522/पी	लूंगा	0.07
3	149/1	1513/पी	लूंगा	0.56
4	149/1	1510/पी	वास्तु(टीला)	0.01
5	149/1	1514/पी	लूंगा	0.02
6	92	1473/पी	नाल	0.21
7	1/54	1472/पी	नाल	0.01
8	482/2	1468/पी	लूंगा	0.02
9	1287	1471/6992/पी	टीला	0.16
10	571	1464/पी	वास्तु(टीला)	0.02
11	482/2	1465/पी	लूंगा	0.04
12	482/2	1466/पी	भीटी(टीला)	0.04
13	1316	2100/7030/पी	नाल	0.08
14	1384	2100/पी	नाल	0.11
15	1/7	2061/पी	छारा	0.03
16	11/1	2064/पी	नाल	0.06
17	11/1	2065/पी	नाल	0.28
18	11/2	2069/पी	नाल	0.17
19	11/1	2092/पी	बागान (टीला)	0.01
20	11/1	2072/पी	लूंगा	0.26
21	472	2075/पी	टीला	0.25
22	1384	1455/2529/पी	नाल	0.12
कुल				2.78

[फा. सं. इएक्सपीएल-13029(11)/1/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-54059)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2025

**S.O. 6109(E).**—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.4098 (E) dated 4<sup>th</sup> September 2025 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Acts, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated 09.09.2025 the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Well GOAP to GO#14 in the State of Tripura by ONGC Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27.10.2025.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User there in:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the ONGC Limited, free from all encumbrances.

**SCHEUDLE**

Mouza: Uttar Sonaichhari

District: South Tripura

Tehsil : Sarasima

Sub- Division: Belonia

Schedule of Land :-

Sl.No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acres
1	580	1523/p	Tilla	0.25
2	176	1522/p	Lunga	0.07
3	149/1	1513/p	Lunga	0.56
4	149/1	1510/p	Bastu(Tilla)	0.01
5	149/1	1514/p	Lunga	0.02
6	92	1473/p	Nal	0.21
7	1/54	1472/p	Nal	0.01
8	482/2	1468/p	Lunga	0.02
9	1287	1471/6992/p	Tilla	0.16
10	571	1464/p	Bastu(Tilla)	0.02
11	482/2	1465/p	Lunga	0.04
12	482/2	1466/p	Bhiti(Tilla)	0.04
13	1316	2100/7030/p	Nal	0.08
14	1384	2100/p	Nal	0.11
15	1/7	2061/p	Chhara	0.03
16	11/1	2064/p	Nal	0.06
17	11/1	2065/p	Nal	0.28
18	11/2	2069/p	Nal	0.17
19	11/1	2092/p	Bagan(Tilla)	0.01
20	11/1	2072/p	Lunga	0.26
21	472	2075/p	Tilla	0.25
22	1384	1455/2529/p	Nal	0.12
<b>Total</b>				<b>2.78</b>

[F. No. Expl-13029(11)/1/2025-EXPL -PNG (E-54059)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.